

# राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

## आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1430 /2021


दिनांक : 01.07.2021

श्रीमती रेणुका शर्मा (RJ1066), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं (नागौर) को दिनांक 23.05.2021 से 05.06.2021 तक 14 दिनों का क्वारेन्टाइन अवकाश (Quarantine Leave) दिनांक 06.06.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति महित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती शर्मा की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर) / सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामनमिटी (नागौर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं (नागौर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक : 01.07.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/54/2016/ 4169

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन मन्त्रि, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 2585 दिनांक 10.06.2021 के मन्दर्भ में।
3. श्रीमती रेणुका शर्मा (RJ1066), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं (नागौर)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं (नागौर)।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना (नागौर)।
6. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुचामनमिटी (नागौर)।

  
सहायक रजिस्ट्रार